न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 29.1.18

0 08/18

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. घनबाई पत्नि दलगंजी
2. मीरा पत्नि महेश सिंह
3. रेखसिंह पुत्र कमलसिंह
4. वीरसिंह पुत्र कमल सिह
5. जसमत देवी पत्नि बहादुर सिंह
6. कविता पत्नि ब्रहाम सिंह
7. मोहर कौर पत्नि दानजी
8. बाबूदेवी पत्नि भगवत
9. हरमुख पत्नि ठण्डीराम
10. भगवानी देवी पत्नि सतवीर
11. रामनिरी पत्नि राजेन्द्र

समस्त जातियान गूर्जर निवासी मोडान का पुरा तिधरिया तहसील टोडाभीम।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बिरजू सिंह पुत्र नंगू
2. रमेश पुत्र नंगू
3. भरत पुत्र नंगू
4. गोविन्द पुत्र नंगू
5. निहाल सिंह पुत्र नंगू
6. अनूप सिंह पुत्र निहाल

समस्त जातियान गूर्जर निवासी भादौली तहसील टोडाभीम।

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थीगण 1 ता 6)

दिनांकः– 15.7.19

निर्णय

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्रम लालारामपुरा स्थित आराजी ख0न0 19 रकवा 0.12, 25 रकवा 0.51 है0 सायलान की खातेदारी भूमि है जिसमे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। सायलान की उक्त आराजी ख0न0 19 रकवा 0.12 है0 के पश्चिम दिशा की और गैरसायलान न0 1 ता 5 की आराजीयात ख0न0 21 रकवा 0.17 है0 स्थित है तथा सायल की आराजी ख0न0 25 रकवा 0.51 है0 भूमि मे दक्षिण दिशा की और गैरसायलान की आराजी ख0न0 26 रकवा 0.30 है0 स्थित है। गैरसायलान लडाकू , भू–माफिया किस्म के व्यक्ति है। जिन्होने कमजोर व सीधे व्यक्तियो की भूमि का हडपने के लिए एक गिरोह बना रखा है। सायल व गैरसायलान की भूमि लगवा होने के कारण सायल व

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

गैरसायलान के विरूद्ध दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती उनवान धनबाई बनाम निहाल सिंह न्यायालय हाजा मे पेश कर दिए जाने के कारण गैरसायलान, सायलान से रंजिश रखने लगे है, और सायलान की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे आये दिन डोल–मेड को तोडने व झगडा करने पर उतारू हो रहे है। दिनांक 5.11.17 को गैरसायलान अपने साथ टेक्टर व लाठी गण्डासी लेकर सायलान की आराजी ख0न0 19 रकबा 0.12 है0 पर आये और सायलान की आराजी की डोल–मेड को तोडकर गैरसायलान की भूमि आराजी ख0न0 21 मे मिला लिया। जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर सायलान की उक्त आराजी ख0न0 19 को गैरसायलान की आराजी ख0न0 21 मे मिलाकर सरसो की फसल बो दी। जिसकी सूचना थाना बालघाट पर भी दी गई। गाव के पंच पटैलो के समक्ष बात रखी उन्होने गैरसायलान को काफी समझाया परन्तु गैरसायलान नही माने, और गैरसायलान के हौसले बुलन्द हो गये। माह दिसम्बर 2017 मे सायल की आराजी ख0न0 25 रकबा 0.51 है0 मेसे 0.15 है0 को भी गैरसायलान द्वारा स्वयं की आराजी ख0न0 26 मे मिला लिया और कहा कि तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि पर हम जबरन कब्जा करेगे, प्रशासन व गाव के पंच पटेल हमारा क्या बिगाड लेगे। इस प्रकार गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि पर किया कब्जा विधि विरूद्ध है गैरसायलान सायलान की भूमि पर एक अवैध अतिचारी अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है। जिन्हे बेदखल किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध सायलान को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। सायलान का प्राईमाफेशी केस बखूबी साबित है। सुविधा के संतुलन भी सायलान के पक्ष मे है गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम लालारामपुरा की भूमि ख0न0 19 रकबा 0.12 है0 एवं ख0न0 25 रकबा 0.51 है0 की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा नही करे, न किसी अन्य से करावे। तथा सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 1 ता 6 जरिए श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट वकालतन उपस्थित हुए। गैरसायलान न0 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही। इसलिए इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

गैरसायलान न0 1 ता 6 की ओर से जबाब पेश किया कि आराजी ख0न0 19 से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। ख0न0 19 के पश्चिम मे ख0न0 21 एवं ख0न0 25 के दक्षिण मे ख0न0 26 नही है, बल्कि मौजूदा शीट के मुताबिक अंकित है, सायलान का यह कथन कि गैरसायलान सायलान से रंजिश रखते है। सायलान की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे आये दिन सायलान की डोल–मेड को तोडने हेतु झगडा करने पर उतारू रहते है, बिल्कुल असत्य है। तथाकथित दिनांक 5.11.17 गलत एवं मनगंढत अंकित की है। ख0न0 19 से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। प्राईमाफेशी केस सायलान के पक्ष मे नही है नाही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि सायलान गैर मु. नदी ख0न0 1 एवं ख0न0 3 व 4 श्मसान की भूमि को दबाने के लिए, दबाब बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी ख0न0 19 रकबा 0.12 है0 भू–प्रबन्ध कर्मचारीयो ने साबिक ख0न0 17 मिन रकबा 19 विस्वा से बनाया है। साबिक ख0न0 17 की खातेदारी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पूर्व मे ग्राम नन्दपुरा हरीसिंह ,जगमोहन, बृजमोहन पि0 फैली जाति ब्राह्मण के नाम थी। उससे पूर्व यह आराजी फैली पुत्र भोला ब्राह्मण के नाम दर्ज थी। फैली पुत्र भोला ब्राह्मण ने यह आराजी अन्य आराजी के साथ गैरसायल न0 1 ता 5 के पिता नंगू पुत्र मोहरे को बेचान कर कब्जा करा दिया। नंगू के पुत्र /वारिश होने के कारण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। साबिक ख0न0 17 रकबा 19 बिस्वा का नामांतकरण संख्या 6 दिनांक 10.12.1956 स्वीकृत होकर रिकार्ड जमाबन्दी मे सम्वत 2014 अंकन हो चुका है। लेकिन बाद मे राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही से गैरसायल के पिता का नाम हजफ कर दिया जबकि कब्जा गैरसायलान काबी चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने कथन किया कि विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है किन्तु जबरदस्ती सायलान की भूमि को गैरसायलान समीप की अपनी भूमि मे मिला रहे है। आराजी ख0न0 19 सायलान ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 2.09.2011 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। गैरसायलान ने जो क्रय करना बताया है उस बावत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। भूमि का दिनांक 23.10.17 को सीमाज्ञान कराया है। दस्तावेजी साक्ष्य मे कही भी गैरसायलान की खातेदारी प्रमाणित नही होती है। पृथम दृष्टया प्रकरण मेरी खातेदारी का है जो मेरे अनुकुल है। विवाद को देखते हुए प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे।

वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जबाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं यह कथन किया कि बेजमाने बुजुर्गान क्रय की गई भूमि पर कब्जा काश्त है, सायलान का इस मुकदमे को करने का मुख्य उद्देश्य गैर. मु. नदी एवं गैर मु. शमसान की भूमि पर कब्जा करना है। विवादित भूमि के साबिक ख0न0 17 को गैरसायलान के बुजुर्ग नंगू ने 1956 मे ही क्रय किया था। इस भूमि पर लगातार गैरसायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सायलान का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नही है। इस प्रकरण मे प्रथमतः कब्जा देखा जाना आवश्यक है। कब्जा काश्त गैरसायलान का है, अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्ररकण मे गैरसायलान को उक्त विवादित आराजीयात मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है कि रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेगे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए तीन विन्दुओ को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– पत्रावली मे सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम लालारामपुरा के खाता संख्या 22 मे भूमि ख0न0 19 रकवा 0.12 है0 एवं ख0न0 25 रकवा 0.51 है0 की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है, सायलान के नाम खातेदारी दर्ज है। गैरसायलान द्वारा अपने नाम खातेदारी होने का कोई साक्ष्य सवूत प्रस्तुत नही किया। पृथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे है।

सुविधा का संतुलनः– खातेदारी सायलान के नाम से दर्ज होने से सद्भावी काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

अपूर्तनीय क्षतिः– सायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, तथा गैरसायलान को किसी प्रकार की अपूर्तिनीय क्षति नही होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को तादावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि ग्राम लालारामपुरा की भूमि ख0न0 19/0.12 एवं ख0न0 25/0.51 है0 मे किसी प्रकार से व्यवधान नही करे। सायलान के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 15 .07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/7/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner